संख्या-37/2020/1853/77-3-2020-04(बजट)/2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़/सुलतानपुर/गाजीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2020**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आ रहे जनपदों को भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-10644/यूपीडा/बलिया लिंक/2019, दिनांक 28.07.2020 एवं पत्रांक-11485/यूपीडा 18/548-IV (भू-अर्जन) दि0 07.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक 5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-वृहत निर्माण कार्य मद में से जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 28.31 करोड़, जिलाधिकारी, सुलतानपुर को रू0 50.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी, गाजीपुर को रू0 06.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 84.31 करोड़ (रू0 चैरासी करोड़ इक्कतीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग/प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारीए आजमगढ़/सुलतानपुर/गाजीपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, आजमगढ़/सुलतानपुर/गाजीपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-21/2019 दि0 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

(8) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीगय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक 5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 10-बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 60-भूमि क्रय" से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-प्रपत्र बी0एम0-9

भवदीय,
(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 37/2020/1853(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी(प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़/सुलतानपुर/गाजीपुर ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्य-नियंत्रण (अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक (अनुभाग-1 नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http: //shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल के प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– 07

विभागकानाम–औद्योगिक विकास विभाग (धनराशि लाख रू0 में)

निधियोंसेप्रस्तावितसंक्रमण				वित्तविभाग द्वाराभराजायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जानेवाली धनराशि	वित्तविभाग द्वारासंक्रमणहेतुअनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेषअनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माणकाय 10–बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 60–भूमि कय' (15 अंको का लेखाशीर्ष–5054033371060)	8431.00	8431.00	8431.00	8431.00	0.00
योग :–	**8431.00**	**8431.00**	**8431.00**	**8431.00**	**0.00**
निम्नलिखितनिधियोमेप्रस्तावितसंक्रमण				वित्तविभाग द्वाराभराजायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	वित्तीय वर्ष के लियेउपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चातउपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माण कार्य 04–पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना 24 वृहत निर्माण कार्य' (15 अंकोकालेखाशीर्ष–5054033370424)	140000.00	148431.00	8431.00	8431.00	148431.00
योग :–	**140000.00**	**148431.00**	**8431.00**	**8431.00**	**148431.00**

01. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माण कार्य 10–बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना मे बचत सम्भावित है।

02. स्तम्भ–8 मेंउल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय का कारण–"5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–04–पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे–24 वृहद निर्माण कार्य' में अधिक व्यय की सम्भावना है।

03. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्या –आर0ई0सं0 78/ई–6/2020, दिनांक 24.09.2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0
इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार सिंह)

अनु सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

(विवेक त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव

वित्तविभाग

संख्या – 1853 (1)/77–3–2020,तददिनांक।

उपुर्यक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालकअधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठकोषाधिकारी, आजमगढ़, सुल्तानपुर एवं गाजीपुर।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहरभवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–01 तीनप्रतियोंमें।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव